कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 12-04-2024

विषयः- अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम तथा आगामी लोकसभा चुनाव- 2024 के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक लंका के नेतृत्व में थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11.04.2024 को लंका पुलिस द्वारा सारंग रेस्टोरेंट के पास 01 बृजेश सिह राजभर पुत्र स्व0 अमलदास सिंह राजभर स्थायी निवासी ग्राम खेमापुर थाना रामपुर जिला जौनपुर हालपता किराये का मकान अशोक राय के मकान में अशोकपुरम कालोनी थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 50 वर्ष को 39 शीशी अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लंका पर मु0अ0सं0- 0139/2024, धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

दिनांक- 11.04.2024 को शान्ति व्यवस्था डियूटी एवं वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि 2-3 दिन से कुछ लोग हाईवे टोल प्लाजा से लेकर नुवाँव अंडरपास तक सर्विस लेन पर रुके हुये ट्रक चालको को रात्रि 10 बजे के बाद शराब की दुकान बंद होने के उपरांत ब्लैक मे अधिक दाम पर शराब बेचते है आज भी वे लोग सर्विस लेन पर सत्कार होटल से नुवांव के बीच मे शराब बेचते हुये दिखाई दिये यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है। सूचना पाकर थाना लंका पुलिस द्वारा सारंग रेस्टोरेण्ट के सामने सर्विस लेन से एक व्यक्ति को घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक झोले में अवैध शराब बरामद हुयी। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया सर उक्त झोले मे मैने घर का सामान रखा है कडाई पूर्वक पूछने पर हडबडाहट मे जामा तलाशी लेने के उपरान्त प्रकट किया की साहब झोले मे मै देशी शराब की शीशी रखा हूँ जिसको शराब की दुकानो के बंद हो जाने के उपरान्त हाईवे पर रुकने वाले ट्रक चालको को अधिक दाम मे बेचकर अपना जीवन यापन करता हूँ जिसकी जमा तलाशी ली गयी तो बरामदशुदा झोले मे कुल 200 ml की विंडीज लाईम की 39 शीशी नाजायज देशी शराब बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता-

1. बृजेश सिह राजभर पुत्र स्व0 अमलदास सिंह राजभर स्थायी निवासी ग्राम खेमापुर थाना रामपुर जिला जौनपुर हालपता किराये का मकान अशोक राय के मकान में अशोकपुरम कालोनी थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 50 वर्ष।

<u>विवरण बरामदगी</u>

1. अभियुक्त के कब्जे से 39 शीशी अवैध देशी शराब बरामद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान</u>- दिनांक गिरफ्तारी 11.04.2024 को स्थान- सारंग रेस्टोरेण्ट के पास, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u> -

1. मु0अ0सं0 0139/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम</u>

1. प्रभारी निरीक्षक शिवाकान्त मिश्र, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अश्वनी कुमार राय चौकी प्रभारी रमना , थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 ऋषिकेश राय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 चन्दन कुमार, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 पुरूषोत्तम मिश्रा, , थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।